



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 644 राँची, सोमवार,

14 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

आदेश

23 नवम्बर, 2020 ई०।

संख्या- 12/नि०-07-06/2020 का० 5993-- प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक-23.09.2020 को सम्पन्न केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक-3 पर की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार प्रसाद, लापता एवं सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित तत्कालीन सहायक, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची (दिनांक-28.05.2003 से लापता तथा दिनांक-29.11.2018 को न्यायालय द्वारा मृत घोषित) के आश्रित पुत्र श्री सत्यम कुमार (जन्म तिथि-17.04.1995, शैक्षणिक योग्यता-स्नातक), स्थायी पता-ग्राम-वंशी, थाना-करपी, जिला-जहानाबाद, बिहार, (वर्तमान पता- नई हुलहुण्डू, शांति नगर, पोस्ट- हुलहुण्डू, डुंगरी, राँची, झारखण्ड) को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधीन कनीय सचिवालय सहायक (समूह 'ग'/ग्रुप-सी) (वेतनमान पी०बी०-I, 5200-20200, GP-1900/-, पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix, Level-2, 19900-63200) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रभावी मानी जायेगी :-

(क) झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के कनीय सचिवालय सहायक के लिए अनुमान्य वेतनमान पी०बी०-I, 5200-20200, GP-1900/-, पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix, Level-2, 19900-63200 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

(ख) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(ग) श्री सत्यम कुमार की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर निश्चित रूप से संबंधित विभाग में योगदान देना होगा अन्यथा निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं देने पर यह समझा जायेगा कि उन्हें इस पद पर योगदान नहीं देना है तथा ऐसी स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(घ) योगदान के समय मूल रूप में शैक्षणिक योग्यता, उम्र के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल रूप में संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रशासी विभाग का दायित्व होगा कि श्री सत्यम कुमार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन करा लेंगे।

(ङ) भविष्य में कोई प्रमाण पत्र/कागजात गलत अथवा असत्य पाये जाने पर श्री सत्यम कुमार की नियुक्ति स्वतः समाप्त की जा सकती है। फर्जी प्रमाण पत्र की स्थिति में दायित्व पूर्ण रूपेण श्री सत्यम कुमार का होगा एवं नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(च) श्री सत्यम कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। यदि उनके द्वारा मृत सरकारी सेवक के परिवार के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण में किसी प्रकार की अवहेलना की जाती है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। उनके द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र दो निष्पक्ष गवाहों के साथ योगदान के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(छ) श्री सत्यम कुमार की नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-वि0पे0-5-47/03-518 वि0-5 दिनांक- 09.12.2004 के आलोक में अंशदायी पेंशन योजना के अधीन की जाती है।

(ज) श्री सत्यम कुमार को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(झ) श्री सत्यम कुमार की नियुक्ति L.P.A. No. 326/2019 में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
